

प्रेषक,

अबराह अहमद

विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उ०प्र०,लखनऊ।

लखनऊ,दिनांक 28 अक्टूबर,2014

जन अनुभाग-4

विषय:-वर्ष 2014-15 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बाराबंकी में जिलाधिकारी आवास से बंसल पेट्रोल पम्प तक (3.70 किमी.) चौड़ीकरण, डिवाइडर एवं लेवेल्ड फुटपाथ का निर्माण कार्य की रु. 590.50 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है), की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रु. 295.25 लाख (रुपये दो करोड़ पन्चानवे लाख पच्चीस हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके नियंत्रण पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस कार्य के लिए कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग होगी-

- 1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गई है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा तथा उक्त व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- 2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्ययोजना में सम्मिलित है।
- 3- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय -12 के प्रस्तर -318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 4- प्रशंगत कार्यों के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
- 5- प्रशंगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।
- 6- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।